कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–1 / 822 / 2021 / 10–11 / 2583 भोपाल, दिनांक 30-7-21

प्रति,

श्री श्रवण कुमार वर्मा
उप वन महानिरीक्षक (एफ.सी.)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज,
जोरबाग रोड, नई दिल्ली–110003

विषयः–वन मंडल छतरपुर के वन परिक्षेत्र बकस्वाहा के PF-280, 281, 284, 285, 286, 287, 296 & 302 के रकबा 382.131 हे. वनभूमि बण्डर डायमण्ड ओपन कास्ट पद्धति से हीरा उत्खनन हेतु –मेसर्स ऐस्सेल माईनिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि. को उपयोग पर देने बाबत्

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक 8-04/2021-FC दिनांक 23 / 07 / 2021

—0—

कृपया आपके संदर्भित पत्र द्वारा चाही गई जानकारी निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

1. आपके पत्र क्रमांक 8-04/2021-FC दिनांक 02 / 06 / 2021 से The legal notice dated 28/05/2021 sent Advocate Shri Prabhat Yadav on behalf of his clients Dr. P.G.Najpandey (Jabalpur) and Rajat Bhargava (Jabalpur). legal notice for the further necessary action in the Ministry जानकारी चाही गई है।

- उपरोक्त संबंध में लेख है कि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में दायर याचिका क्र. 34 / 2001 व 35 / 2001 पर दिनांक 30 / 06 / 2021 को सुनवाई हुई थी। माननीय न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्य प्रदेश को यह निर्देश दिये गये कि आवेदित क्षेत्र में वृक्षों की कटाई न हो। इस निर्देश के पालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 2134 दिनांक 02 / 07 / 2021 से मुख्य वन संरक्षक, छतरपुर एवं वनमण्डलाधिकारी, छतरपुर को लेख किया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि में किसी प्रकार के वृक्षों का विदोहन न किया जाये। पत्र की प्रति परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

2. आपके पत्र क्रमांक 8-04/2021-FC दिनांक 11 / 06 / 2021 से email dated 09/06/2021 received from Shri R.K. Sharma (OSD), Present's Secretariat, Rashtrapati Bhawan, New Delhi enclosing an e-maiol petition from Shri Shiva Prasad KP addressed to the Hon'ble President-Provide comments on the above said petition for further nessary action within a fornight. जानकारी चाही गई है।

- इस संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 2339 दिनांक 14 / 07 / 2021 से जानकारी आपको पूर्व में ही प्रेषित की गई है, जिसकी प्रति परिशिष्ट–2 पर संलग्न है।

3. आपके पत्र क्रमांक 17PM/2/2021-FC Dated 25/06/2021 से जानकारी चाही गई है।

- आपका उक्त पत्र दिनांक 25 / 06 / 2021 इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है।

O/C

4. आपके पत्र क्रमांक 8-04/2021-FC Dated 01/07/2021 से Proposal on account huge no. of tree felling linvolved. Part II of the forest diversion proposal contains details of no. of trees enumerated but the details of actual tree felling required for proposal has not been provided. Provide the complete details of actual number of trees and to be felled against the figure submitted and type of mining proposal. A detailed note on methodology adopted on diamond mining also need submission जानकारी चाही गई है।

- उपरोक्त संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 2312 दिनांक 13/07/2021 से जानकारी आपको प्रेषित की गई है जिसकी प्रति परिशिष्ट–3 पर संलग्न है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

30/7/2021

(सुनील अग्रवाल)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबन्ध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

o/c

परिशिष्ट - 1

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–भू–प्रबंध)
प्रथम मंजिल, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म0प्र0)

कमांक/भू–प्रबंध/खनिज/2134 भोपाल, दिनांक 02-07-21

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक
वन वृत्त छतरपुर, म.प्र.।

विषयः– माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में दायर यचिका क्रमांक 34/2001 एवं 35/2001 में पारित निर्णय।

—

एस्सेल माईनिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा छतरपुर वनमंडल में 382 हे. वनभूमि प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत स्वीकृति की कार्यवाही प्रचलित है।

इस संबंध में माननीय न्यायालय में दो याचिकायें दायर हुयी हैं। इन याचिकाओं पर दिनांक 30.06.2021 को सुनवाई हुयी है। माननीय न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश को यह निर्देशित किया गया है कि आवेदित क्षेत्र में वृक्षों की कटाई न हो।

अतः यह सुनिश्चित करें कि प्रस्तावित वन भूमि में किसी प्रकार के वृक्ष विदोहित न किया जाये।

माननीय न्यायालय द्वारा किये गये निर्णय की प्रति संलग्न है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

02/07/2021
(सुनील अग्रवाल)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
म0प्र0 भोपाल।

पृ0कमांक/भू–प्रबंध/खनिज/2134 भोपाल, दिनांक 02-07-21

प्रतिलिपिः–वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मंडल छतरपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

02/07/2021
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
म0प्र0 भोपाल।

पांशेष्ठ्रि - 2

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध) सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश भोपाल

क्रमांक/एफ–1/2021/10–11/2339 भोपाल, दिनांक 15-07-21

प्रति,

श्री श्रवण कुमार वर्मा,
उप वन महानिरीक्षक (एफ.सी.)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज,
जोरबाग रोड, नई दिल्ली–110003

विषयः– **Proposal for diversion of 382.131 hectares of forest land for Bunder Diamond Mining Project in favour of M/s Essael Mining & Industries Limited, District Chhatarpur, State of Madhya Pradesh (Online Proposal No. FP/MP/MIN/45288/2020) - regarding.**

संदर्भः– भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक FC 8-04/2021-FC दिनांक 11.06.2021

–0–

आपके द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र के साथ श्री शिवा प्रसाद द्वारा प्रस्तुत एक अभ्यावेदन संलग्न कर भेजा गया है। इस अभ्यावेदन में श्री शिवा प्रसाद द्वारा लेख किया गया है कि एस्सल माईनिंग द्वारा एक खदान के लिये 2 लाख से अधिक पेड़ों को काटा जा रहा हैं। उनके द्वारा इस लीज को समाप्त करने का अनुरोध किया गया है।

इस संबंध में वस्तुस्थिति निम्नानुसार है :–

एस्सल माईनिंग कम्पनी को मध्यप्रदेश खनिज विभाग द्वारा वर्ष 2019 में 364 हेक्टेयर वनभूमि में एक लीज स्वीकृत की गई है। यह भूमि वनभूमि है। एस्सल माईनिंग द्वारा इस भूमि में खनिज का उत्खनन करने हेतु वनभूमि का प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया गया है। पोर्टल क्रमांक FP/MP/MIN/45288/2020 है।

इस कम्पनी द्वारा खनिज के लिये 364 हेक्टेयर के साथ–साथ क्षेत्र से बहने वाले एक नाले को डायवर्सन करने हेतु तथा पहुंच मार्ग हेतु 18 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार प्रकरण में कुल 382 हेक्टेयर का वनभूमि का प्रत्यावर्तन चाहा गया है।

इस प्रकरण में कुल 215000 वृक्ष प्रभावित हो रहे है। प्रकरण में लीज बाउण्ड्री के चारों तरफ 7.5 मीटर की पट्टी सेफ्टीजोन की पट्टी छोड़ी जावेगी। इस पट्टी में लगभग 15000–16000 वृक्ष आवेंगे। अतः प्रस्ताव स्वीकृत होने पर 2 लाख वृक्ष काटने होंगे। यह 2 लाख वृक्ष 10 से 12 वर्ष की अवधि में कांटे जावेगे।

प्रस्ताव वन क्षेत्र में किसी भी राष्ट्रीय उद्यान/अभ्यारण्य/ईको सेसिटिव जोन का भाग नहीं है। प्रस्तावित वनक्षेत्र की पन्ना टाईगर रिजर्व की दूरी 51 कि.मी. है। प्रस्तावित वनक्षेत्र किसी भी वन्यप्राणी कॉरीडोर का हिस्सा भी नहीं है।

इस प्रस्ताव को स्वीकृत करने की अनुशंसा वनमण्डलाधिकारी, छतरपुर द्वारा मुख्य वन संरक्षक, छतरपुर द्वारा भी की गई है। राज्य शासन द्वारा भी प्रस्ताव अनुमोदित करने की अनुशंसा की गई है।

वर्तमान में प्रस्ताव भारत सरकार स्तर पर विचारार्थ लंबित हैं।

कृपया वस्तुस्थिति से अवगत होंना चाहेगे।

15/7/201

(सुनील अग्रवाल)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

E:\New Section F-4 File.doc

परिशिष्ट -3

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/एफ–1/822/2021/10–11/2312 भोपाल, दिनांक 13-7-21

प्रति,

श्री श्रवण कुमार वर्मा
उप वन महानिरीक्षक (एफ.सी.)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली–110003

विषयः–वन मंडल छतरपुर के परिक्षेत्र बकस्वाहा के PF-280, 281, 284, 285, 286, 287, 296 & 302 के रकबा 382.131 हे. वनभूमि बण्डर डायमण्ड ओपन कास्ट पद्धति से हीरा उत्खनन हेतु – मेसर्स ऐस्सेल माईनिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि. को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भः– आपका पत्र क्र. 8-04/2021-FC दिनांक 01/07/2021

—0—

विषयान्तर्गत प्रकरण में संदर्भित पत्र से प्रकरण में 02 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। मेसर्स ऐस्सेल माईनिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, मुम्बई द्वारा पत्र दिनांक 09/07/2021 से दो बिन्दुओं की जानकारी प्रस्तुत की गई है जो आगामी कार्यवाही हेतु संलग्न प्रस्तुत है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

12/7/2021
(सुनील अग्रवाल)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबन्ध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक/एफ–1/822/2021/10–11/2313 भोपाल, दिनांक 13-7-21

प्रतिलिपिः–

1. उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र, पर्यावरण भवन, लिंक रोड नं.–3, ई–5 रविशंकर नगर, भोपाल
2. वन मंडल अधिकारी (सा.) वन मंडल, छतरपुर, मध्यप्रदेश
3. मेसर्स ऐस्सेल माईनिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, आदित्य बिड़ला ग्रुप एस.के. अहीर मार्ग, मुम्बई (महाराष्ट्र)।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

12/7/2021
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबन्ध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

01L

ADITYA BIRLA

EMIL

EMIL/Bunder/HO/2021/14

9 July 2021

The APCCF (Land Management) & Nodal Officer
Forest Department, Government of Madhya Pradesh
Satpuda Bhawan
Bhopal, Madhya Pradesh

Subject: Proposal for diversion of 382.131 Ha forest land for Bunder Diamond Project in favour of M/s Essel Mining & Industries Limited District, Chhatarpur State of MP (Online Proposal No FP/MP/MIN/45288/2020)-regarding.

Reference:

1. Your letter no F-1/622/2021/10-11/2155 dated 2 July 2021
2. Letter from MoEF&CC, New Delhi bearing letter no FC-8-04/2021-DC dated 1 July 2021

Dear Sir,

With reference to the above stated letters dated 1st & 2nd July 2021, seeking response on the EDS queries sought by MoEF&CC, New Delhi, we are herewith stating the response on the requested points below,

Point 1: Part II of the Forest diversion proposal contains details of the no of trees enumerated but the details of the actual tree felling required for the project is not provided. In this regard, it is requested to provide the complete details of actual number of trees to be felled against the figure submitted and type of mining.

Response:

- The number of trees enumerated by the state forest department within the applied forest diversion area of 382.131 Ha is 215,875 trees. It is pertinent to mention that 179,839 trees (~83.3% of total trees) are with girth size of 0 – 60 cm and balance 36,036 trees are with girth size more than 60 cm.
- The mine plan for the project is approved by the Indian Bureau of Mines, which provides mining to be undertaken in phases ensuring optimal utilization of land, therefore the tree felling will be phased over a period of 10 -12 years.
- The Project Proponent while undertaking mining will ensure optimal utilization of land thereby minimizing the trees felling. No tree felling will be required in the 7.5m wide safety zone along lease boundary, while tree felling will be optimised in others also. It is envisaged that about 15000 – 16000 trees will not come under felling during the operation of the project. Thus the total trees under impact will be less than 2 lacs. It is pertinent to mention that the Project Proponent shall be paying NPV upfront to offset the immediate loss to the ecosystem as per Hon Supreme Court directives although the tree felling is phased over the years.

Essel Mining & Industries Ltd.
Aditya Birla Center, 'A' Wing, 1st Floor, S.K.Ahire Marg, Worli, Mumbai 400030, India.
T: +9122 6652 5000/2499 5000|F:+9122 5562 5831/2499 5831|E: emil.corporate@adityabirla.com
W: www.adityabirla.com/www.esselmining.com
Registered Office: Industry House, 18th floor, 10, Camac Street, Kolkata 700017, India.
Corporate ID No.: U51109WB1950PLC018728

ADITYA BIRLA

EMIL

- The Project Proponent as part of Compensatory Afforestation shall be planting 383,000 trees in the Compensatory Afforestation land. The plantation of 383,000 trees will be undertaken much ahead of start of mining operations and both the CA and NPV payments are done before actual start of mining.
- Additionally 425,000 trees will be planted within the lease area as part of reclamation and rehabilitation as per approved Mine plan over the life of the project.
- On 7th June 2021, the Chief Minister's Office announced multi-fold plantation to negate the impact by tree cutting due to developmental projects in the State. The announcement mentions that in Chhatarpur district, estimated 2 lakh trees will be cut for the developmental project but 10 lakh trees will be planted in the district. The announcement reiterated the Government's commitment to use Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (CAMPA) funds for additional plantation.

Point 2: Detailed note on methodology adopted on Diamond Mining

- The Project Proponent will undertake mining by adopting mechanized Opencast Method using shovel dumper combination. The unit operation for mining are site preparation, drilling, blasting, excavation, loading and transport of ore and waste. The major equipment used in mining will be drilling machines, shovels, dump trucks dozers etc.
- The mine will be designed systematically by opening up benches for excavation of ore and waste. The ore mined will be transported to wet mineral processing plant while the waste will be stacked in the waste dumps within the lease area.
- The ore transported to the mineral processing plant will be crushed, screened and processed for recovery of rough diamonds. The tailings generated after recovery of diamonds will be dry disposed and stacked separately in designed tailings dumps within the lease area.
- Progressive and final reclamation of mine will be undertaken as per approved mine plan and the lease will be handed over back to the forest department on mine closure.
- The mining operation will be undertaken as per the Approved mine plan and international best practice in mining operation.

Our responses may be suitably incorporated in your consolidated response to the MoEF&CC in this regard. We look forward for your earliest response on the matter to propel the project forward.

Thanking you

For Essel Mining & Industries Limited

Essel Mining & Industries Limited

Krishan Kant Sinha
General Manager

Essel Mining & Industries Ltd.
Aditya Birla Center, 'A' Wing, 1st Floor, S.K.Ahire Marg, Worli, Mumbai 400030, India.
T: +9122 6652 5000/2499 5000|F:+9122 5562 5831/2499 5831|E: emil.corporate@adityabirla.com
W: www.adityabirla.com/www.esselmining.com
Registered Office: Industry House, 18th floor, 10, Camac Street, Kolkata 700017, India.
Corporate ID No · U51109WB1950PLC018728